अपील/सीलिंग/29/2003/नागौर
रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री सूरज भान जैमन,सदस्य** उपस्थितः– श्री जी0एस0लखावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से श्री सुनील गर्ग राजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेंटस की ओर से **निर्णय दिनांकः 26–7–18** यह अपील अन्तर्गत धारा 23(2) राजस्थान सीलिंग अधिनियम 1973 अपर कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–5–2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने सीलिंग प्रकरण संख्या 77/70(43/64) सरकार बनाम दातारसिंह में दिनांक 1–2–71 को ऐसेसी की कृषि भूमि सीलिंग सीमा से कम मान कर प्रकरण को समाप्त कर दिया। उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 1–2–71 आरटीएक्टक 1955 के अध्याय 3 ख के प्रतिकूल होने से राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपशासन सचिव (राजस्व) सीलिंग विभाग राजस्थान जयपुर ने अपने आदेश संख्या पं.1(940) ने राज/सी 78 दिनांक 15–10–81 के द्वारा उक्त प्रकरण को खोल कर अप्रार्थीगण को नोटिस देकर कुछ बिन्दुओं की जॉच के उपरांत कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करने हेतु अतिरिक्त कलक्टर नागौर को प्रति प्रेषित कर दिया। अतिरिक्त कलक्टर नागौर को प्रकरण प्राप्त होने पर,प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जो बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही कर अपने निर्णय दिनांक 27.5. 2002 को अप्रार्थीगण के पास सीलिंग सीमा से 26.83 स्टो0 एकड भूमि अधिक पाई जाने से भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित कर दिये जिससे व्यथित	

अपील/सीलिंग/29/2003/नागौर
रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है। 3— उभयपक्ष के अधिक्तागण की बहस सुनी गयी। 4— विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर दिया कि सीलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त होने पर अगर राज्य सरकार उक्त ओदश को राज्यहित के विरुद्ध मानती है तो उसके लिए वह धारा 15(2) के तहत ड्राप प्रकरण को पुनः कार्यवाही हेतु खोल सकती है परन्तु विद्यायन द्वारा राज्य सरकार को उक्त अधिकार प्रदान करनेके साथ साथ प्रदत्त उक्त अधिकारों को प्रयोग करने हेतु एक निश्चित समयावधि प्रावधित की है। उक्त अनुसार ड्राप प्रकरण के 7वर्ष के अन्दर अथवा दिनांक 31—12—1979 से पूर्व जो कोई अधिक हो तक ही प्रयोग किया जा सकता है। मौजूदा प्रकरण में कानून द्वारा विहित दोनो ही समयावधि समाप्त हो चुकी थी। इसलिए धारा 15(2) के तहत रिओपन आदेश स्वतः ही मियाद बाहर होने से अविधिक हो गया। ऐसी स्थिति में ऐसे अविधिक आदेश की पालना में जो अतिरिक्त जिलाधीश नागौर ने कार्यवाही शुरु कर जो निर्णय दिया है वह निरस्त योग्य है। उनका आगे तर्क है कि जब दातार सिंह द्वारा 261 बीघा भूमि 1958 के पूर्व ही अपने जीवनकाल में बेचान कर दी गयी थी तो उक्त जानकारी अपीलांट के होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने अवैधानिक तौर पर दातारसिंह की समस्त भूमि मेहताब सिंह के अकेले के नाम होना मानते हुए आदेश पारित किया है जबकि दोनो ही भाईयों के पास 30—30 स्टेण्डर्ड भूमि छोडने के बाद उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भूमि शेष नही रहती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने इस स्थिति को नजरअन्दाज कर जो आदेश पारित किया है वह अविधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं । अन्त में अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27—5—02 को निरस्त कर अपीलांटस के विरुद्ध की जा रही सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान	

अपील/सीलिंग/29/2003/नागौर
रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने का निवेदन किया। 5— इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या एक का तर्क यह है कि नकल जमाबन्दी सं0 2020—23 के अनुसार दिनांक 26—3—1966 को दातारसिंह द्वारा धारित भूमि 122 बीघा 17 बिस्वा उत्तराधिकार में मेहताबसिंह को प्राप्त हुई थी। पूर्व में दिनांक 25—2—58 को दातारसिंह द्वारा कुल 384 बीघा 5 बिस्वा भूमि धारित की जाती थी और जबकि दिनांक 26—3—1966 को मेहताबसिंह को उत्तराधिकर में कुल 122 बीघा 17 बिस्वा भूमि ही प्राप्त हुई थी। इसलिए शेष भूमि 261 बीघा 8 बिस्वा का हस्तान्तरण मृत्यु से से पूर्व दातारसिंह ने कर दिया था शेष भूमि के हस्तान्तरण के सम्बध में कोई शहादत अपीलांट द्वारा पेश नही की है इसलिए यह कहना कि उक्त हस्तान्तरण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान के अनुकूल था, गलत है। ऐसी स्थिति में मेहताबसिंह द्वारा कुल 56.83 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित की जा रही थी और उसके पॉच सदस्यों के परिवार के लिए वह 30 स्टेण्डर्ड एकड तक भूमि ही धारित कर सकता था इसलिए उसके पास निर्धारित अधिकतम जोत सीमा से 26.83 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिक पाई गयी है जिसे अधिकग्रहण करने का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किया है ,उचित व कानून सम्मत है।वकील रेस्पोडेंट की ओर से यह भी तर्क दिया कि धारा 15(2) के अन्तर्गत दिया गया रिओपन आदेश भी अन्दर अवधि है क्योकि इस बिन्दु पर दिनांक 9—7—95 आदेश पारित किये थे कि राज्य सरकार के आदेश की समीक्षा नही की जा सकती । अतः अपीलांट द्वारा जो तथ्य इस स्तर पर उठाये है वे बुनियाद है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया। 6— उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सं0 2020—23 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 26—3—1966 को दातारसिंह द्वारा धारित भूमि 122 बीघा 17 बिस्वा उत्तराधिकार में अप्रार्थीगण मेहताबसिंह को प्राप्त हुई थी। पूर्व में दिनांक	

अपील / सीलिंग / 29 / 2003 / नागौर
रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	25–2–58 को दातारसिंह द्वारा कुल 384 बीघा 5 बिस्वा भूमि धारित की जाती थी और दिनांक 26–3–66 को मेहताबसिंह को उत्तराधिकार में कुल 122 बघा 17 बिस्वा भूमि ही प्राप्त हुई थी शेष भूमि 261 बीघा 8 बिस्वा का हस्तान्तरण मृत्यु से से पूर्व दातारसिंह ने कर दिया था शेष भूमि के हस्तान्तरण के सम्बध में कोई शहादत अपीलांट द्वारा पेश नही की है इसलिए यह कहना कि उक्त हस्तान्तरण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान के अनुकूल था, गलत है। ऐसी स्थिति में मेहताबसिंह द्वारा कुल 56.83 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित की जा रही थी और उसके पॉच सदस्यों के परिवार के लिए वह 30 स्टेण्डर्ड एकड तक भूमि ही धारित कर सकता था इसलिए उसके पास निर्धारित अधिकतम जोत सीमा से 26.83 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिक पाई गयी है जिसे अधिग्रहण करने का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किया है ,उचित व कानून सम्मत है। प्रकरण को धारा 15(2) के अन्तर्गत म्याद बाहर रिओपन करने की आपत्ति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन भी कानून सम्मत है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विस्तृत विवेचन किया गया है तथा पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर ही निर्णय पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। परिणामस्वरुप यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है। 7– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपर कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–5–2002 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सूरज भान जैमन) सदस्य	

अपील/सीलिंग/29/2003/नागौर
रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए